


110
II | निरा | भू-शृण | 2018 | 0144

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा (मोप्र०)



1. सरमनिया पुत्र स्व० राममिलन

2. अनुसुइया प्रसाद तनय रामजियावन कोल (मृत) के वारिसान

2,अ. श्रीमती फुलमतिया पत्नी स्व० अनुसुइया कोल

2,ब. श्री श्यामसुब्दर कोल पुत्र स्व० अनुसुइया कोल

2,स. श्री मोतीलाल कोल पुत्र स्व० अनुसुइया कोल

2,द. श्रीमती श्यामकली पुत्री स्व० अनुसुइया कोल

2,ई. श्री गणेश प्रसाद कोल तनय स्व० अनुसुइया कोल

2,फ. श्रीमती हरछठिया पुत्री स्व० अनुसुइया कोल

2,य. श्रीमती पार्वती पुत्री स्व० अनुसुइया कोल

2,र. श्रीमती राजकली पुत्री स्व० अनुसुइया कोल

2,ल. श्रीमती शंखू पुत्री स्व० अनुसुइया कोल

3. महावीर तनय रामजियावन कोल (मृत) वारिसान

3,अ. रामसजीवन तनय स्व० महावीर कोल

3,ब. सनद कुमार तनय स्व० महावीर कोल

3,स. अनंत कुमार तनय स्व० महावीर कोल

3,द. अमरनाथ तनय स्व० महावीर कोल

4. ददुला तनय रामजियावन कोल (मृत) वारिसान

4,अ. रामशिरोमणि तनय स्व० ददुला कोल

4,ब. सुखीलाल तनय स्व० ददुला कोल सभी निवासी बरहा कला तहसील

सिरमौर जिला रीवा मोप्र०

आवेदकगण/निगराकार

बनाम

1. शासन मोप्र० द्वारा कलेक्टर साहब जिला रीवा मोप्र०


8.2.2018

(110)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-आ

प्रक. क्रमांक ॥ निगा. दूर्घा. ॥ २०१८ / १५५५ जिला - रीवा

सरमनिया विरुद्ध म.प.शास्त्र

| (1) | (2) | (3) |
|-----------|--|-----|
| 18-12-18- | <p>1. आवेदक की ओर से श्री कैंपो केन्पाण्डी प्रभु अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिशनर / अमर कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक ५१/निगा. २०१७-२०१८ में पारित आदेश दिनांक ११-१२-२०१३ के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक २८-१-२०१८ प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>  | |